न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड आर.ए.एस.)

आवेदक

राजस्थान राज्य जरिये श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. भंवरलाल सगरवंशी पुत्र पन्नाराम सगरवंशी, जाति- सगरवंशी, निवासी- डॉ. सम्पूर्णानन्द कॉलोनी, हरिओम गली, सिरोही, जिला- सिरोही
(खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक)

फर्मः- खुशी किराणा स्टोर, सदर बाजार, सिरोही, जिला- सिरोही

2/1. KALPESH KUMAR MANILAL SHAH, KHETAN TOWER NEAR RAJASTHAN HOSPITAL SHAHIBAUG, AHMADABAD CITY-380004

2/2. KAILASH KUMAR MANILAL, D-203 KALA SAGAR APPARTMENT, NEAR BSNL BUILDING, GHODA CAMP ROAD, SHAHIBAG, AHMDABAD CITY (Guj.)-380004

2/3. BHARAT KUMAR MANI LAL SHAH, MADHUPURI FOOD PRODUCTS PVT.LTD. 2nd floor 2-3, Krishna Kaniya Complex, New Madhupura Chouk, AHMDABAD-380004
(प्रतिवादी संख्यए 2/1 से 2/3ए निदेशक निर्माता फर्म)

फर्मः- MADHUPURI FOOD PRODUCTS PVT.LTD.,
2nd floor 2-3, Krishna Kaniya Complex, New Madhupura Chouk, Ahmdabad City (Guj.)-380004

प्रकरण संख्याः 42/2021

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 "

उपस्थितिः

अधिवक्ता श्री मदनसिंह राव, प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/3 की ओर से

-ः निर्णय ः- **दिनांक 28 मार्च, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 07.11.2020 को 5.30 पी.एम. पर फर्म खुशी किराणा स्टोर, सदर बाजार, सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से भंवरलाल सगरवंशी पुत्र पन्नाराम सरगवंशी, जाति- सगरवंशी, निवासी- डॉ. सम्पूर्णानन्द कॉलोनी, हरिओम गली, सिरोही, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ चिल्ली पाउडर (महावीर ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ... के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ ... के असुरक्षित होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं दुकान के अन्दर फर्श पर विक्री हेतु मौजूद खाद्य

......पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:13:34 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

चिल्ली पाउडर (महावीर ब्राण्ड) के 30 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक एक किलोग्राम) में से चिल्ली पाउडर (महावीर ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक एक किलोग्राम) जांच हेतु खरीदे एवं चिल्ली पाउडर (महावीर ब्राण्ड) की कीमत राशि रुपये 800/- खाद्य कारोबारकर्ता को अदा कर खरीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी के कोड व क्रमांक S-1256, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर विक्रेता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। चारों खरीद शुदा नमूना पाउचों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1256 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता भंवरलाल सगरवंशी व गवाहान ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व मैनें स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उन पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सील चपडी से सिल्ड किया एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 09.11.2020 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री महेन्द्र कुमार, स्वीपर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधुपर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 07.11.2020 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिरोही को मेरे द्वारा जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो असल संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ चिल्ली पाउडर (महावीर ब्राण्ड)की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता भंवरलाल सगरवंशी से जांच हेतु लिया गया खाद्य पदार्थ चिल्ली पाउडर (महावीर ब्राण्ड) का नमूना S-1256 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। इस प्रकरण से संबंधित समस्त मूल कागजात मय गजट नोटिफिकेशन, पदस्थापन आदेश, एरिया नोटिफिकेशन [illegible] स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने पत्रावली का अवलोकन [illegible] कर प्रतिवादीगण के द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ चिल्ली पाउडर (महावीर ब्राण्ड) के विक्रय को उक्त अधिनियम की धारा 26 [illegible] 2(ii) का उल्लंघन पाया जो धारा 52 के

....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:13:34 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ चिल्ली पाउडर (महावीर ब्राण्ड) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। अतः प्रतिवादीगण पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या 2/1 व 2/3 की ओर से अधिवक्ता श्री मदनसिंह राव उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/3 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि प्रतिवादी संख्या-1 (भंवरलाल संगरवंशी) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये व न ही प्रतिवादी भंवरलाल सगरवंशी की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुआ।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 07.3.2022 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/3 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, जिन्होनें प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/3 के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए व्यक्त किया कि प्रतिवादीगण की फर्म किसी प्रकार का मिस ब्राण्ड चिल्ली पाउडर का निर्माण नही करती है। प्रतिवादीगण की फर्म ने सरकार द्वारा निर्धारित मानक अनुसार चिल्ली पाउडर का निर्माण कर बेचान किया है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो सेम्पल लिया गया है वह प्रतिवादीगण के फर्म का नही है। अवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादीगण की फर्म के निर्माणाधित चिल्ली पाउडर का कोई मौके से सेम्पलिंग नही किया है व न ही मौके पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की गई है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समस्त कार्यवाही कार्यालय में बैठकर सम्पादित की है। अतः आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी का आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि दिनांक 07.11.2020 को 5.30 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म खुशी किराणा स्टोर, सदर बाजार, सिरोही, जिला- सिरोही पर गये। उक्त फर्म खुशी किराणा स्टोर में खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक की हैसियत से भंवरलाल सगरवंशी पुत्र पन्नाराम सगरवंशी, जाति- सगरवंशी, निवासी- डॉ.सम्पूर्णानन्द कॉलोनी, हरिओम गली, सिरोही, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ चिल्ली पाउडर (महावीर ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म खुशी किराणा स्टोर के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ चिल्ली पाउडर (महावीर ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना उपस्थित ... श्रीमती ... वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ... श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र

....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:13:34 IST
Reason: SelfAttested

मान. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

श्री देवीससिंह, निवासी- राडबर के समक्ष खाद्य कारोबारकर्ता भंवरलाल सगरवंशी को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गवाहान के समक्ष दुकान के अन्दर फर्श पर प्लास्टिक के बेग में बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ चिल्ली पाउडर (महावीर ब्राण्ड) के 30 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक एक किलोग्राम) में से खाद्य पदार्थ चिल्ली पाउडर (महावीर ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक एक किलोग्राम) नमूना जांच हेतु क्रय किये एवं उसकी कीमत राशि 800/- (अक्षरे रुपये आठ सौ मात्र) विक्रेता भंवरलाल सगरवंशी को नकद अदा कर खरीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता भंवरलाल सगरवंशी, गवाहान एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं क्रमांक S-1256, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर खाद्य कारोबारकर्ता भंवरलाल सगरवंशी व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं खरीद शुदा चारों नमूना पाउचेज पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1256 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहान के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूनों भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबाकरर्ता भंवरलाल सगरवंशी, उक्त गवाहों एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क्रय का बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म खुशी किराणा स्टोर में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता भंवरलाल सगरवंशी से खाद्य पदार्थ चिल्ली पाउडर (महावीर ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ काजु(गोकुल ब्राण्ड) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की तथा चारों नमूना भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को [illegible] बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म [illegible] 6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफे में रखकर सिल [illegible] आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 09.11.2020 को नमूने का [illegible] एवं फार्म नम्बर-6 का एक

....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:13:34 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

सील बन्द लिफावा श्री महेन्द्र, स्वीपर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफावे को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 07.11.2020 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में खाद्य पदार्थ चिल्ली पाउडर (महावीर ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1256 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक:L.S./861/Act/2020/861 दिनांक 15.12.2020 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म खुशी किराणा स्टोर में खाद्य कारोबारकर्ता भंवरलाल सगरवंशी से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ चिल्ली पाउडर (महावीर ब्राण्ड) का नमूना S-1256 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ चिल्ली पाउडर (महावीर ब्राण्ड) के पैकिंग लेबल पर निर्माता फर्म के FSSAI License No. अंकित नही थे, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (पैकेजिंग व लेबलिंग) विनियम 2011 के विनियम संख्या 2.2.1(7) का उल्लंघन है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह भी स्पष्ट है कि अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक:एफएसएसए/2021/81-84 दिनांक 05.1.2021 से खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट की प्रति प्रतिवादी भंवरलाल सगरवंशी व निर्माता फर्म Madhupuri Food Products Pvt.Ltd. Rakanpur, Santej Road, Ta. Kalol, Dist. Gondhinagar को प्रेषित कर पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर अपील आवेदन प्रारुप 8 में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया है, लेकिन संबंधित ने अभिहित अधिकारी को अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि फर्म Madhupuri Food Products Pvt.Ltd., 2-3, Krishna Kaniya Complex, Madhupura Chowk, Ahmedabad द्वारा खाद्य पदार्थ चिल्ली पाउडर (महावीर ब्राण्ड) के एक-एक किलोग्राम के पैक्ड पाउचेज को इनवोईस बिल नंबर 40291 दिनांक 29.10.2020 के द्वारा प्रतिवादी संख्या-1 (भंवरलाल सगरवंशी) की फर्म खुशी किराणा स्टोर, सिरोही को विक्रय किये गये है एवं खाद्य पदार्थ चिल्ली पाउडर (महावीर ब्राण्ड) की निर्माता फर्म Madhupuri Food Products Pvt.Ltd. है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, इसके अनुसार मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय हेतु विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, पैकर व विनिर्माता दोषी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:13:34 IST
Reason: SelfAttested

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक [illegible] धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना [illegible] 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग [illegible] अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ चिल्ली पाउडर (महावीर

....पेज छः पर

ब्राण्ड) का विक्रय करने के कारण प्रतिवादी भंवरलाल सगरवंशी पुत्र पन्नाराम सगरवंशी, जाति- सगरवंशी, निवासी- डॉ. सम्पूर्णानन्द कॉलोनी, हरिओम गली, सिरोही, जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म खुशी किराणा स्टोर, सदर बाजार, सिरोही, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 5,000/- (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) की एवं मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ चिल्ली पाउडर (महावीर ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु निर्माता फर्म Madhupuri Food Products Pvt. Ltd., 2nd floor 2-3, Krishna Kaniya Complex, New Madhupura Chowk, Ahmedabad (Guj.)-380004 पर राशि रुपये 25,000/- (अक्षरे रुपये पच्चीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी-1 एवं प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/3 को आदेशित किया जाता है कि उक्त अधिरोपित शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग-अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:13:34 IST
Reason: SelfAttested